न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर (राज.)
पीठासीन अधिकारी - श्री गंगाधर मीणा R.A.S

प्रार्थना पत्र संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
31/2020	12.11.2020	17.08.21

अनुक्रम

[1] मातादीन पुत्र शिवराम जाति जाट निवासी ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

-प्रार्थी

बनाम

[1] राज. सरकार जरिये तहसीलदार साहब तौजी होकर कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

[1] श्री मनोज कुमार यादव अभिभाषक प्रार्थी

प्रार्थी ने मय अधिवक्ता उप न्यायालय में उपस्थित होकर स्वयं प्रस्तुत पत्र उ०धारा 111,128 राज. काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खाता ख०नं. 973/0.4800, 1067/0.0600, 1076/0.4700 हैक्टेयर वाके ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम जो प्रार्थी की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। मैंने प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल हो रहा है ([illegible]) मैंने प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है। उपरोक्त [illegible] की आराजी की पैमाईश एवं पत्थरगढी [illegible] श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेश पर दिनांक 23.10.20 को ख०नं. 1075 का दुरूस्ती ~~[illegible]~~ कर्ता कानो को मुताबिक निशानात

लगातार

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 16:49:17 IST
Reason: SelfAttested

मानते हुए खसरा की तरमीम जरीब-चकलाकार ~~दुरुस्ती~~ प्रविष्टि करना कायम किया। उक्त कायम बिन्दु से खसरा की तरमीम जरीब-चकलाकार इन्द्राज प्रविष्टि करना कायम किया। ख.नं. 1076 के कायम बिन्दु से करना दर्शाया पूर्व से पश्चिम की तरफ ख.नं. 1076 का दर्शायी प्रविष्टि करना कायम किया। कायम बिन्दु से विस्तार जरीब-चकलाकार पश्चिम करना कायम किया। इसी प्रकार ख.नं. 972 में जरीब-चकलाकार किया/मापन की गई। उक्त पैमाइश स्वाभाविक की अनुसूची नि. में मौका पर्चा तैयार किया जाकर और मौके पर पटवार सुसंगत व सरहद मौजूद व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये जावे। इसलिए श्रीमान जी से निवेदन है कि सुसंगत मौका पर्चा दिनांक 23.10.20 पत्रावली करवाई जावे।

प्रतिवाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ दिनांक 6.4.21 को अप्रार्थी के विरुद्ध Ex Parte की कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने अपने ~~प्रार्थना~~ अंतिम तर्कों को दोहराया और कहा कि विवादित आराजी की पैमाइश के लिए श्रीमान तहसीलदार महोदय को यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर जिस पर श्रीमान तहसीलदार साहब ने संयुक्त टीम बनाकर दिनांक 23.10.20 को पैमाइश की और सरहद काश्तकार एवं मौजूद व्यक्तियों के मौका पर्चा पर हस्ताक्षर करवाये जावे। विवादित आराजी पर तीन प्रार्थी काबिज काश्त है। विवादित आराजी में प्रत्येक प्रार्थी का 1/4 भाग है। इसलिए तीन प्रार्थी की विवादित आराजी की सुसंगत [illegible] दिनांक 23.10.2020 पत्रावली करवाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता [illegible] पर मनन किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात एवं मौका पर्चा दिनांक 23.10.2020 अवलोकन

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:49:17 IST
Reason: SelfAttested

का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आवेदक का कथन है कि विवादित आराजी के प्रार्थी का 1/4 भाग है जिस पर वह काबिज-काश्त है। मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 23.10.2020 पर समस्त काश्तकार के हस्ताक्षर हैं। जमाबन्दी संवत 2074-2077 का व मौका पर्चा दिनांक 23.10.2020 का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदारान एवं विवादित आराजियात से लगते हुए समस्त काश्तकारगण के मौका पर्चा दिनांक 23.10.2020 पर हस्ताक्षर नहीं है। मौका पर्चा तैयार करते समय एवं पैमाइश करते समय विवादित आराजियात से लगते हुए समस्त काश्तकारों के मौका पर्चे पर हस्ताक्षर होने चाहिये। (जो मौका पर्चा दिनांक 23.10.2020 पर नहीं है) इसलिए पुन: पैमाइश कर पत्थरगढी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कोटकासिम को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नं. 973, 1067, 1076 वाके ग्राम बड़ाना की पैमाइश करते समय विवादित आराजियात से लगते हुए समस्त ख.नं. के काश्तकारों को नोटिस देते हुए उनकी मौजूदगी में एवं काश्तकारों को सन्तुष्ट करते हुए पुन: पैमाइश कर पत्थरगढी करवाई जावे। (तहसीलदार कोटकासिम को आदेश जारी हो।)

निर्णय आज दिनांक 17.08.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:49:17 IST
Reason: SelfAttested